संख्या-04/2022/20(2)/86-2022-01(बजट)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 06 जनवरी, 2022

विषयः-खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद फतेहपुर के स्थान ललौली तथा दतौली में आर.एफ.आई.डी. आधारित चेकगेट्स के कैन्टीलीवर पोल के स्थान पर गैन्ट्री संरचना का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2351/87ए-478(प्रस्तुतीकरण)III दिनांक 21.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद फतेहपुर के स्थान ललौली तथा दतौली में आर.एफ.आई.डी. आधारित चेकगेट्स के कैन्टीलीवर पोल के स्थान पर गैन्ट्री संरचना का कार्य कराये जाने हेतु, वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के पूंजीगत लेखाशीर्षक-4853-अलौख खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेशण तथा विकास 800 अन्य व्यय-04 खनन विकास की योजनाओं-0401 एक मुश्त व्यवस्था के मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण में प्राविधानित धनराशि रू० 300.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत् सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश डेवलमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड, अपट्रॉन बिल्डिंग, द्वितीय तल, गोमती बैराज के पास, गोमतीनगर लखनऊ के पक्ष में रू०20,40,456.00 (रूपये बीस लाख, चालीस हजार, चार सौ छप्पन मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ अग्रिम आहरण की स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, प्रदान करते हैं-

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित सामग्री/उपकरणों/मशीनों का क्रय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की जा रही सामग्री/उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(5) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यथा समय व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ-साथ एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि का अनुपालन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा करा लिया जायेगा।

2. उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय"-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था-मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण" के नामें डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के प्राविधानों तथा वित्त विभाग द्वारा अशासकीय संख्या-ई-6-3434-दस-2021-22 दिनांक 06.01.2022 के माध्यम से प्रदान की गई सहमति के अनुसार निर्गत किया जा रहा हैं।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव।

संख्याः20(3)/86-2022, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।